

एक नजर में

वामपंथी समाजवादी दलों ने किया प्रदर्शन



इंदौर. गत 22 जुलाई को इंदौर प्रेस क्लब में देवास से आए आदिवासियों और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बजरंग दल के देवास के ही कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने के विरोध में वामपंथी समाजवादी दलों के प्रदर्शन को रोकने के लिए गांधी प्रतिमा तिराहे को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. फिर भी वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता के चलते तमाम कार्यकर्ता पहले ग्वालटोली थाने पर इकट्ठा हुए और वहां से वाहनों पर सवार होकर तुमोगंज थाने पहुंचे. हालांकि कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया. इनमें सीपीएम केसी एल सरावत और भागीरथ कछाया भी थे. जबकि सीपीआई के रुद्रपाल यादव को उनके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया. अधिकांश कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव राममरुवक मंत्री, जनता दल के प्रदेश महासचिव हरिओम सूर्यवंशी सीपीएम के प्रदेश सचिव कैलाश लिंबोदिया और एमएससीआई के प्रमोद नामदेव के नेतृत्व में तुमोगंज थाने पहुंचे. वहां पर कार्यकर्ताओं ने बड़ी देर तक नारेबाजी कर बजरंग दल के अपराधी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने और शहर में आगे से ऐसी घटना घटित ना हो इसकी व्यवस्था करने की मांग की. बाद में कार्यकर्ताओं ने एसीपी के माध्यम से इंदौर के पुलिस कमिश्नर को उक्त ज्ञापन भी दिया जिसमें उक्त मांग की गई. प्रदर्शन में प्रमुख रूप से लेखक पत्रकार हरनाम सिंह, अरुण चौहान, सोहनलाल शिंदे, जावेद भाई, राहुल निहरे, जानकी लाल मरमट सहित समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एमएससीआई के कई कार्यकर्ता शामिल थे।

छत्तीसगढ़ हिन्दु राष्ट्र अधिवेशन संपन्न



रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित शान्दी दरबार तीर्थ परिसर में हिन्दु जनजाति समिति एवं शान्दी दरबार तीर्थ के संयुक्त तत्वाधान में राज्यस्तरीय हिन्दु राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन संपन्न हुआ. इस अधिवेशन में प्रदेश के 250 से अधिक हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों के प्रतिनिधियों, साधु-संतों, प्रबुद्धजनों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने सहभागिता की. मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा राज्य सरकार धर्मांतरण की गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. आगामी विधानसभा सत्र में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जाएगा. अधिवेशन में युधिष्ठिरलाल महाराज, रामबालकदास महाराज, महामंडलेश्वर सर्वेश्वरदास महाराज, प्रबल पत्रकार सिंह जूवेंद, वेदप्रकाशराय महाराज, हिन्दु जनजाति समिति के महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ संगठक सुनील घनवट, सनातन संस्था के प. अशोक पात्रीकर, तथा स्वातंत्र्यवीर सावरकर के प्रपौत्र राजजीव सावरकर जैसे अनेक मान्यवरों ने अपने विचार अधिवेशन में रखे. अधिवेशन के दौरान धर्मांतरण कानून की आवश्यकता विषय पर एक परिसंवाद का आयोजन भी हुआ. उक्त जानकारी सुनील घनवट ने दी.

मारवाड़ी महिला सम्मेलन की प्रतियोगिता



महू. सावन की हरियाली तीज पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा सत्रकी मेले का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्टाल लगाए गए। जिसमें राखी, लहंगा साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सूट, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिडस विपर, फुटविपर, हेडबैंड, हाथ से बने मंगोडी पापड़ चिप्स, बेडशीट, ड्राई फरस्ट, गिफ्ट हैपर, मल्टी प्रोडक्ट, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टाल लगाए. मेले का विशेष आकर्षण तीज सुंदरी प्रतियोगिता रही. जिसमें प्रथम पायल परदेसी, द्वितीय तुषि माहेश्वरी और तृतीय किरण माहेश्वरी रही. इसके अलावा पारंपरिक त्योहार की कहानी प्रतियोगिता रखी गई. जिसमें प्रथम साधना जिंदल, द्वितीय किरण माहेश्वरी, तृतीय तुषि माहेश्वरी रही. कार्यक्रम में 25 मेधावी छात्रों व राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलकूद में उर्कट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया. साथ ही 5 नेत्रदानी परिवार व 11 रक्त वीरंगनाओं का सम्मान किया गया. कार्यक्रम में अंशु गुप्ता, सरिता खडेलवाल, चंचल अग्रवाल, शीला बंसल, संस्थापिका शाकुंतला डोलो, शाकुंतला विजयवर्गीय, स्वाति शारदा, सविता खडेलवाल, उमा गोयल उपस्थित रही. अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष रामकुमारी अग्रवाल ने व संचालन सचिव अंजना बाहेठी ने किया. आभार सरोज मित्तल ने माना.

शिवलिंग का फूलों से विशेष श्रृंगार



इंदौर. नवरत्नबाग स्थित श्री विजय मारुति हनुमान मन्दिर में सावन का तीसरा सोमवार धूमधाम के साथ मनाया गया. महंत मंगलदास महाराज खाकी के सानिध्य में भोलेनाथ का दूध, घी, मेवे और जल से अभिषेक किया गया. पं. भारती प्रवीण जोशी ने बताया कि शिवलिंग का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया. शिव स्तुति और आरती के बाद फलहारती खिचड़ी का वितरण किया गया. इस मौके पर मीना राणा शाह, ललित परदेशी, सुशील उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित थे.

एक साथ 85 हजार ने ली नशामुक्ति की ई-शपथ

नशे से दूरी है जरूरी अभियान इंदौर पुलिस का विषय रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स करेगी प्रमाणित

नव भारत न्यूज इंदौर. नशे के खिलाफ जनजागृति के लिए चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान नशे से दूरी है जरूरी के तहत इंदौर पुलिस कमिश्नरेंट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. शहर में एक साथ 85,003 लोगों ने ऑनलाइन जुड़कर नशे के खिलाफ ई-शपथ ली। यह आयोजन वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होने जा रहा है.

यह आयोजन इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ जो पलायनस्थ स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित किया गया था. जहां से पुलिस कमिश्नर ने जूम के जरिए शहर के 168 संस्थानों से जुड़े



पुलिस का यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा

ई-शपथ लेने वालों में स्कूल-कॉलेजों के छात्र, कोचिंग संस्थानों, निजी व सरकारी दफतर्तों, पुलिस थानों व कार्यालयों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की प्रतिनिधि अपूर्वा मेहन भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं. उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड की पुष्टि के बाद इंदौर पुलिस को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा. अभूतपूर्व भागीदारी पर पुलिस कमिश्नर सिंह ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि समाज को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने में जनसहयोग ही सबसे बड़ी ताकत है. पुलिस का यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा.

छात्र-छात्राओं, नागरिकों, पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, संस्थानों व कॉरपोरेट ऑफिस के स्टाफ को एक साथ नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रशासन/वित्त अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय मनोज श्रीवास्तव सहित सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी व अन्य स्टाफ मौजूद रहा. सभी ने एक स्वर में नशे के खिलाफ लड़ाई में सहभागी बनने का संकल्प लिया.

मध्य प्रदेश में जीएसटी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल

ट्रांसपोर्टरों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, ईमानदारों को परेशान कर रहे अधिकारी, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग



इंदौर. मध्यप्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं. ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों ने आरोप लगाया है कि जांच के नाम पर ईमानदार कारोबारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों से मोटी रकम लेकर उन्हें खुली छूट दी जा रही है.

पंजीकृत आल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के



नव भारत न्यूज इंदौर. मध्यप्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं. ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों ने आरोप लगाया है कि जांच के नाम पर ईमानदार कारोबारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों से मोटी रकम लेकर उन्हें खुली छूट दी जा रही है.

आज से शिव महापुराण कथा व सिद्ध रुद्राक्ष वितरण

महू. जय भोले संगमन किशनगंज महू द्वारा शिव महापुराण कथा एवं सिद्ध रुद्राक्ष वितरण का आयोजन 31 जुलाई से 4 अगस्त तक किशनगंज स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में किया जा रहा है. आयोजन के शुभारंभ पर दोपहर 1 बजे भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. कथा वाचन का कथा वाचक पं. विपुल कृष्णा महाराज (बड़गाँदा वाले) करेंगे। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं को सिद्ध रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा.


फूलों और सूखे मेवों से भोलेबाबा सजे बाबा महाकाल रूप में



इंदौर. सावन के तीसरे सोमवार पर शहर के मंदिरों में विभिन्न आयोजन किए गए. भोलेनाथ को विभिन्न रूपों में आकर्षक श्रृंगार कर सजाया गया. भक्त भोलेनाथ को भक्ति में लीन रहे. श्रीविद्याधाम पर श्रावण के तीसरे सोमवार को महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के सानिध्य एवं आचार्य पं. राजेश शर्मा के निर्देशन में अभिषेकालम्ब लघु रूद्र महायज्ञ किए. आश्रम परिवार के सुरेश शाहदा, पं. दिनेश शर्मा एवं राजेन्द्र महाजन ने बताया कि संंध्या को आश्रम परिसर स्थित शिव मंदिर पर पं. लोकेश शर्मा, पं. आशीर्वाद शर्मा एवं उनके साथियों ने सूखे मेवे एवं



फूलों से भोलेनाथ का बाबा महाकाल के रूप में मनोहारी श्रृंगार किया, जिनके दर्शनार्थ रैत रात तक भक्तों का तांता लगा रहा.



इंदौर. श्रावण मास के पावन अवसर पर शुभ सिटी में धार्मिक आस्था और भक्ति भाव का अद्भुत संगम देखने को मिला. श्रवण माह के तीसरे सोमवार को श्री राम रामेश्वर जी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में

भक्तों ने दर्शन लाभ लिया. इस अवसर पर महादेव का दिव्य श्रृंगार उर्वशी अग्निहोत्री द्वारा निष्ठा के साथ किया गया. मंदिर परिसर का वातावरण अत्यंत मनोहारी और आध्यात्मिक हो गया. श्रृंगारित भक्तों के दर्शन के नाम पर भक्तों ने मनोकायना पूर्ति की प्रार्थना की. आयोजन स्थल पर भजन, आरती और प्रसादी वितरण भी हुआ.

एक नजर में

देश की प्रगति में दिव्यांग बच्चों का भी होगा योगदान

इंदौर. दिव्यांग बच्चे इस पांच दिवसीय स्वावलंबन शिविर में सीख रहे हैं. वह मैंने उनको विभिन्न विद्याओं में पारंगत होते देखा और अलग अलग वस्तुओं को बनाते देखा. संस्था महावीर इंटरनैटिन्टल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मिसो, वास्तव में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मोटी विजन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है.

ये बच्चे स्वावलंबी बन दूसरों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाएंगे, देश का प्रत्येक युवा स्व रोजगार में स्थापित हो जाए तब देश की जीडीपी गतिमान हो जाएगी. देश स्वाभिमान और गौरव के साथ प्रगतिशील रहेगा जिसमें इन बच्चों का योगदान अखिल माना जाएगा. उक्त विचार छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण, महिला, बाल

दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों का स्वालंबन शिविर



विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने व्यक्त किए. उन्होंने अपने इंदौर प्रवास के दौरान दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के पांच दिवसीय शिविर होटल एचआर ग्रीन में शिविर की विभिन्न गतिविधियों के अवलोकन किया. स्वावलंबन पर बच्चों की कार्यशाला को विभिन्न कक्षाओं का गहन अवलोकन अशोक जैन, अरुण कुमार जैन, कावड़िया ने करवाया. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद पुष्प जैन द्वारा आधिकारिक सरकारी स्थिति और वास्तविक कार्य करने में आने वाली

श्रीकृष्णल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: तुतीय तल, एडोडी इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा-201303  
CIN: U65900DL2020PLC368027  
कच्ची की सूचना (अवल संचालित के लिए) नियम 8(1)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शिवालयिक लघु वित्त बैंक (अर्थात शिवालयिक मफेस्टेशन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम खाला संख्या 103041547018 के लिए दिनांक 12-06-2025 को एक मीन सूचना जारी की है, जिसमें 1. ईश्वर सिंह पुर श्री रघुनाथ सिंह (अग्र/बंध्यककर्ता) निवासी मकान संख्या 12, ग्राम खेड़ा चित्तवावल्या नदिद उज्जैन मध्य प्रदेश 456668, 2. श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री ईश्वर सिंह (सह-उधारकर्ता) निवासी मकान नं. 12, ग्राम खेड़ा चित्तवावल्या नदिद उज्जैन मध्य प्रदेश 456668, 3. श्री रघुनाथ पुर श्री बापू सिंह (सह-उधारकर्ता) निवासी मकान नं. 12, ग्राम खेड़ा चित्तवावल्या नदिद उज्जैन मध्य प्रदेश 456668, 4. श्रीमती कैलाश बाई पत्नी श्री रघुनाथ सिंह (सह-उधारकर्ता) निवासी मकान नं. 12, ग्राम खेड़ा चित्तवावल्या नदिद उज्जैन मध्य प्रदेश 456668 को नोटिस में उल्लिखित राशि 8,90,000/- रुपये (आठ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) को ऋण देने का अनुरोध किया गया उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाना होगा। ऋणी द्वारा पुर चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणी(की) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पालन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व 2025 की 28 जुलाई को नीचे बर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। ऋणी(की) और आम जनता को विशेष रूप से इस संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर शिवालयिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर रु. 8,90,000/- (आठ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) की राशि और उक्त पर ऋण का भार रहेगा। ऋणी को ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों में और आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूति परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध सम्यक के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण:

संपत्ति पर समतुल्य बंधक:

भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 489.96 वर्ग मीटर है। सर्वेक्षण संख्या 474/1, ग्राम चित्तवाली खेड़ा, बं नंबर 13, तहसील मकड़ान, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। रास्ता अधिलेखन क्रमांक टप432022024311 1094065 दिनांक 03-09-2024 के अनुसार पंजीकृत। श्री ईश्वर सिंह पुर श्री रघुनाथ सिंह के नाम पर।

सीमा: उत्तर अक्षय भूमि, दक्षिण सड़क, पश्चिम 10 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व अक्षय भूमि

सीमा: उत्तर अक्षय भूमि, दक्षिण सड़क, पश्चिम 10 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व अक्षय भूमि

दिनांक: 28-07-2025  
स्थान: उज्जैन

एसडी- प्राधिकृत अधिकारी  
शिवालयिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कच्चा नोटिस

जबकि, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शिवालयिक लघु वित्त बैंक (अर्थात शिवालयिक मफेस्टेशन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ताओं(ओं) को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांगों के सम्यक उल्लिखित शर्तियों को पालन सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित शर्तों पर चुकाएं, साथ ही पुगुतान और/या वसूली की तिथि तक लागू आकर्षित न्यय, लागत, प्रभार आदि पर ब्याज भी अदा करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ ग्राहक/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कच्चे का प्रकार
1	45579420001020	1) श्री जीतेन्द्र, पुत्र. नर सिंह, 2) श्रीमती मांगी बाई, पति नर सिंह	12.05.2025, ₹ 8,61,656.00 (आठ लाख इकट्ठर हजार छह सौ छठ्ठन मात्र) 04.05.2025 तक	दिनांक: 25.07.2025 समय: सुबह 9.40 बजे प्रतीकात्मक कच्चा
2	36410430000447	1) श्री गोपाल, पुत्र. रतनलाल, 2) श्रीमती कृष्णाबाई, पति गोपाल	12.05.2025, ₹ 3,60,320.94 (तीन लाख साठ हजार तीन सौ बीस और चौराबे पैसे मात्र) 04.05.2025 तक	दिनांक: 25.07.2025 समय: सुबह 11.25 बजे प्रतीकात्मक कच्चा
3	45589420000309 & 45589420000871	1) श्री सुमनजा खान, पुत्र मोहम्मद खान, 2) श्रीमती पारो बी, पति सुमनजा खान, 3) श्री. मोहन पुत्र सुमनजा खान	12.05.2025, ₹ 13,77,181.50 (तेरह लाख सत्तर हजार एक सौ इक्कासी और आठ सौ पचास मात्र) 04.05.2025 तक	दिनांक: 25.07.2025 समय: दोपहर 12.55 बजे प्रतीकात्मक कच्चा
4	36410430000408	1) श्री दिनेश, पुत्र. मांगीलाल चौधरी, 2) श्रीमती कला बाई, पति मांगीलाल चौधरी	12.05.2025, ₹ 5,11,759.90 (पांच लाख चार हजार सात सौ उनसठ और नब्बे पैसे मात्र) 04.05.2025 तक	दिनांक: 25.07.2025 समय: शाम 4.20 बजे प्रतीकात्मक कच्चा
5	46500430000299	1) श्री कमल सिंह गुर्जर, पुत्र शिव लाल गुर्जर, 2) श्रीमती सोनी गुर्जर, पति कमल सिंह गुर्जर	23.04.2025, ₹ 4,40,224.44 (चार लाख चालीस हजार दो सौ बीस और चौराबे पैसे मात्र) 11.04.2025 तक	दिनांक: 28.07.2025 समय: दोपहर 12.40 बजे प्रतीकात्मक कच्चा
6	46500430000072	1) श्री संतोष कुमार, पुत्र राजाराम प्रजापत, 2) श्रीमती मनु बाई प्रजापत, पति राजा राम	09.05.2025, ₹ 4,82,227.87 (चार लाख ब्यासी हजार दो सौ सत्ताईस और सत्तासी पैसे मात्र) 04.05.2025 तक	दिनांक: 28.07.2025 समय: दोपहर 01.25 बजे प्रतीकात्मक कच्चा

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ग्राहक/बंधककर्ता देव राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संपत्तियों/सुक्षित परिसंपत्तियों को उक्त निर्णय के साथ उपरोक्त तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/ग्राहक/बंधककर्ताओं और आम जनता को एकदम से चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: इन्दौर  
दिनांक: 29.07.2025  
एसडी- प्राधिकृत अधिकारी,  
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

**JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)**  
पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं.10/1, 11/2 और 12/2बी, डोमपूर के पास, कोरमगला नगर रिंग रोड, ईजीएल विजनेस पार्क के नगर में, चल्दघड़ा, बैंगलूर-560071। शाखा कार्यालय: प्लॉट नं.306-ए, पीयू, 4, स्क्रीम नं.54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.डी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।